

बिहार सरकार
गृह (विशेष) विभाग
शुद्धि-पत्र

सं०सं०- ई०विद्युत-०३-८०७/१३...../ पटना, दिनांकफरवरी, २०१४

दिनांक १३.०९.२०१३ को विद्युत भवन परिसर के बाहर एवं अंदर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज एवं मारपीट आदि की घटित घटना की जाँच हेतु माननीय मुख्यमंत्री से मामले की जाँच अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद से कराने का आदेश संचिका में प्राप्त किया गया है। अधिसूचना निर्गत करने के समय भूलवश अधिसूचना डॉ० सी० अशोक वर्द्धन, अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद के नाम से निर्गत कर दी गई।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में गृह (विशेष) विभाग से निर्गत अधिसूचना संख्या- ९९५७ दिनांक ०१.११.२०१३ को इस हद तक संशोधित करते हुए अब इस जाँच हेतु डॉ० सी० अशोक वर्द्धन, अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के स्थान पर पदनाम से अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को प्राधिकृत समझा जाय।

पत्र की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(प्रीता वर्मा)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-..... पटना, दिनांक-फरवरी, २०१४

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-.....¹⁸⁸⁵..... पटना, दिनांक- ..^{04/03/}.....फरवरी, २०१४

प्रतिलिपि:- आई०टी० प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

२.२.१४